



अधिसूचना सं०- सी/386/एटीवीएम/सोनपुर/24

दिनांक:- 30.03.2026

अधिसूचना

सोनपुर मंडल में स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) द्वारा अनारक्षित टिकट बेचने के लिए सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) के चयन हेतु आवेदन की माँग

सोनपुर मंडल के 08 (आठ) स्टेशनों पर स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) के लिए सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) के चयन के लिए आवेदन की माँग वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, सोनपुर मण्डल, कृते भारत के राष्ट्रपति की ओर से स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) के माध्यम से टिकट जारी करने के लिए पात्र सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के पति/पत्नी अथवा व्यस्क संतान एवं सामान्य स्थानीय आवेदको के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, जिसकी सूची निम्नवत है :-

क्र. सं	स्टेशन	NSG श्रेणी	सुविधाकर्ताओं के आवश्यकता की सं०
01	सोनपुर	NSG-04	02
02	दलसिंहसराय	NSG-04	02
03	बरौनी	NSG-03	04
04	बेगूसराय	NSG-03	04
05	लखमिनिया	NSG-05	01
06	खगड़िया	NSG-03	04
07	मानसी	NSG-04	01
08	नवगछिया	NSG-03	02

(क) पात्रता की शर्तें (सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए)

- सभी सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जिनकी आयु दिनांक 29.04.2026 को 65 वर्ष से कम हो (65 वर्ष तक कार्य करने हेतु) तथा रेलवे के किसी भी विभाग में सेवा की हो, वे आवेदन करने के पात्र हैं।
- 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी या उनके व्यस्क संतान (एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी के लिए केवल एक व्यक्ति जो उनके द्वारा नामित किया गया हो) को सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) के रूप में काम करने की अनुमति दी जा सकती है। आवेदन के साथ में इस आशय का पत्र संलग्न करेंगे।
- रेल कर्मचारी के वैसे जीवनसाथी/व्यस्क संतान जो किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत हों, वो आवेदन के पात्र नहीं है। आवेदन के साथ में इस आशय का स्व-घोषणा पत्र संलग्न करेंगे।
- सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) के रूप में चयन में निम्नलिखित अनुसार वरीयता दी जाएगी :
 - वाणिज्य विभाग से वैसे सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जो वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य लिपिक, पूछताछ सह आरक्षण लिपिक या टिकट चेकिंग संवर्ग के पद से सेवानिवृत्त हुए हों।
 - अन्य विभाग से सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी।
 - सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी का पति/पत्नी अथवा व्यस्क संतान।
- यदि किसी विशेष स्टेशन के लिए आवश्यक संख्या से अधिक पात्र आवेदक हैं, तो इस दशा में ड्रॉ ऑफ लॉटरी की पद्धति द्वारा सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) का चयन किया जाएगा।
- सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के पति/पत्नी/व्यस्क संतान का रेलवे में रोजगार के लिए कोई दावा नहीं होगा। इस संबंध में उन्हें वैधिका कागज पर एक वचन-पत्र भी देना अनिवार्य होगा।
- आवेदक द्वारा किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक (एम.बी.बी.एस.) द्वारा जारी नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना है, जो की आवेदन खोलने की तिथि से एक माह से पूर्व का न हो (Annexure-3)।

8. आवासीय प्रमाण पत्र- आवेदक को इस जिले (District) का निवासी होना चाहिए जिस स्टेशन के लिए उसने आवेदन दिया है। इसके लिए उसे उस जिला के डी०एम०/ एस०डी०एम०/बी०डी०ओ०/सी०ओ०/ तहसीलदार द्वारा निर्गत स्थानीय नागरिक होने का नवीनतम आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. चरित्र प्रमाण पत्र- आवेदक को संबंधित जिले के जिला अधिकारी/अपर जिला दंडाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/ प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम (6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(ख) पात्रता की शर्तें (सामान्य स्थानीय आवेदको के लिए)

1. जन्म तिथि आवेदक की आयु दिनांक- 29.04.2026 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उम्र के प्रमाण के लिए/केंद्रीय शैक्षणिक बोर्ड अथवा इससे संबंधित कोई अन्य प्रलेख।
2. शैक्षणिक योग्यता- आवेदक को कम से कम दसवीं पास होना चाहिए। इसके प्रमाण में राज्य/केंद्र शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्गत स्कूल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. चरित्र प्रमाण पत्र- आवेदक को संबंधित जिले के जिला अधिकारी/अपर जिला दंडाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/ प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम (6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. रेलवे में रोजगार के लिए कोई दावा नहीं होगा। इस संबंध में वैधिक कागज पर एक वचन-पत्र (Affidavit) भी देना अनिवार्य होगा।
5. आवासीय प्रमाण पत्र- आवेदक को इस जिले (District) का निवासी होना चाहिए जिस स्टेशन के लिए उसने आवेदन दिया है। इसके लिए उसे उस जिला के डी०एम०/ एस०डी०एम०/बी०डी०ओ०/सी०ओ०/ तहसीलदार द्वारा निर्गत स्थानीय नागरिक होने का नवीनतम आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. आवेदक द्वारा किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक (एम.बी.बी.एस.) द्वारा जारी नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना है, जो की आवेदन खोलने की तिथि से एक माह से पूर्व का न हो। (Annexure-3)
7. जमानती राशि:- चयन के उपरांत आवेदक को व्याज रहित (वापसी योग्य) NSG-2 श्रेणी स्टेशन के लिए 50,000/- एवं NSG-3,4 एवं उससे नीचे की श्रेणी स्टेशन के लिए 25,000/- मूल्य के जमानती राशि के मद में, MR (मनी रसीद) / भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जारी सावधिक जमा रसीद (Fixed Deposit Receipt) / डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft) के रूप में जो वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के नाम से देय हो तथा हाजीपुर में भुगतय हो (FA& CAO, ECR, Hajipur payable at Hajipur) जमा करना होगा।
8. यदि ATVM सुविधाकर्ता क्षेत्रीय रेल द्वारा सुविधाकर्ता के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद ATVM संचालित करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो ATVM सुविधाकर्ता द्वारा दी गई जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी इस आशय का स्व-घोषणा पत्र आवेदन में संलग्न करेंगे।

(ग) चयन की शर्तें:-

1. एटीवीएम सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) का कार्यकाल चयन से 2 वर्ष तक होगा, जिसे रेलवे बोर्ड/मुख्यालय के दिशा-निर्देश के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
2. रेलवे द्वारा कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा।
3. सुविधाकर्ता को 150 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड रिचार्ज पर बोनस @3% की दर से मिलेगा। 151 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच की यात्रा के लिए बोनस @2% की दर से मिलेगा और उसके बाद 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए जारी किए गए टिकटों पर बोनस @1% की दर से दिया जाएगा यह दर NSG-1, NSG-2 एवं NSG-3 श्रेणी के स्टेशनों के लिए लागू होगा। अन्य श्रेणियों के स्टेशनों के लिए 150 किलोमीटर की दूरी की सीमा तय करने की मौजूदा नीति जारी रहेगी अर्थात 150 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए जारी टिकटों पर कोई बोनस नहीं दिया जाएगा और 150 किलोमीटर के लिए बोनस किराया 3% तक सीमित होगा।
4. रेल प्रशासन द्वारा उपरोक्त दर किसी भी समय परिवर्तन के लिए सुरक्षित है और सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) किसी भी बकाया/मुआवजे का दावा करने का अधिकार नहीं रखेगा।
5. चयन की प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को प्राथमिकता दिया जाएगा।
6. यदि किसी विशेष स्टेशन के लिए आवश्यक संख्या से अधिक पात्र आवेदक हैं, तो इस दशा में ड्रॉ ऑफ लॉटरी की पद्धति द्वारा सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) का चयन किया जाएगा।

Ching

(घ) सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) की कार्यप्रणाली:-

स्मार्ट कार्ड -

1. सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) उस स्टेशन के सीएस/एसएस से स्मार्ट कार्ड खरीदेंगे जहाँ उसका चयन किया गया है।
2. एटीवीएम के माध्यम से यात्रियों को टिकट जारी करने के लिए केवल पंजीकृत स्मार्ट कार्ड का उपयोग करना चाहिए।
3. सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) अपनी आवश्यकता के अनुसार कितने भी रिचार्ज करा सकता है।
4. यदि स्मार्ट कार्ड खो जाता है, तो उसे इसकी सूचना स्टेशन के सीएस/एसएस को तुरंत देनी चाहिए और इसके बदले में दूसरा स्मार्ट कार्ड खरीदना चाहिए और इसे डिवीजन के साथ पंजीकृत करना चाहिए।

(ङ) टिकट जारी करना :-


1. सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) को उसे आवंटित मशीन से ही टिकट जारी करना चाहिए।
2. एक से अधिक सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) नियुक्त होने की स्थिति में वह सीएस/एसएस द्वारा बनाए गए रोस्टर के अनुसार एटीवीएम के शिफ्ट में काम करेगा।
3. सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) को टिकट जारी करते समय रेल द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड पहनना होगा।
4. सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) को कोई वर्दी निर्धारित नहीं है, फिर भी साफ-सुथरे कपड़े पहनना चाहिए जो यात्रियों के सामने प्रस्तुत करने योग्य हो, और यात्रियों को उनके पहनावे से कोई परेशानी न हो।
5. सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) को हमेशा यात्रियों के साथ विनम्रता और शिष्टता से व्यवहार करना चाहिए। अन्य किसी भी शिकायत के परिणामस्वरूप आवंटित प्राधिकार को समाप्त कर दी जाएगी।
6. सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) यात्रियों की कतार बनाने और मांग के अनुसार सही किराया वसूलने के लिए टिकट जारी करने में मदद करेंगे। अधिक शुल्क के संबंध में किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और उनका आवंटित प्राधिकार समाप्त कर दिया जाएगा।
7. जब भी कोई उपयोगकर्ता एटीवीएम से टिकट लेने आएंगे तो सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) उन्हें टिकट लेने के लिए प्राथमिकता देंगे।
8. सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) को अपने नाम का एक बैज बनवाकर हर समय लगाना चाहिए और साथ ही रेलवे द्वारा जारी आई.डी. कार्ड भी पहनना चाहिए।
9. जहाँ कहीं भी मांग होती है, रेल ऐसे मामले में प्रति एटीवीएम 02 सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) नियुक्त कर सकता है। स्टेशन के सीएस/एसएस द्वारा रोस्टर के अनुरूप सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) शिफ्ट में काम करेंगे।
10. कार्य शुरू होने और बंद होने की सूचना प्रतिदिन सीएस/एसएस को दी जाएगी और इसे बुकिंग कार्यालय में इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाना है।
11. एटीवीएम की डस्टिंग और सामान्य साफ-सफाई सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) की प्राथमिक ज़िम्मेदारी होगी। किसी भी सिस्टम की विफलता और टिकट रोल की आवश्यकता की सूचना सीएस/एसएस को तुरंत दी जाएगी, जो बदले में आवश्यक कार्यवाही करेंगे और एटीवीएम को ठीक करवाएँगे।
12. सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) को ही एटीवीएम का संचालन करना चाहिए और यात्रियों को टिकट जारी करना चाहिए। वह किसी भी समय किसी अनाधिकृत व्यक्ति को टिकट जारी करने की अनुमति नहीं देगा। सबलेटिंग या प्राक्सी उपस्थिति मामले में, आवंटित प्राधिकार तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और आगे के प्राधिकार से कर दिया जाएगा।
13. सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) सभी निरीक्षण अधिकारियों को उनके काम में सहयोग करेगा और निरीक्षण के लिए सभी आवश्यक रिकार्ड और दस्तावेज़ पेश करेगा।
14. एटीवीएम के संबंध में रेलवे बोर्ड/मुख्यालय/मण्डल द्वारा जारी कोई भी निर्देश सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) के लिए मान्य होगा।
15. सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) को आवंटित स्टेशन के अलावा किसी भी अन्य स्टेशन/प्लेटफार्म/शिफ्ट पर एटीवीएम संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।
16. हालांकि, रेलवे पूर्व सूचना के साथ, जब भी आवश्यक हो, अस्थायी/स्थायी रूप से किसी भी अन्य स्थान पर सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) को संचालन के लिए स्थानांतरित कर सकता है।

(च) टर्मिनेशन:- सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) के निम्न विफलताओं पर आवंटित प्राधिकार निरस्त/समाप्त कर दी जाएगी-

- पाली में समय पर उपस्थित नहीं होने पर।
- यात्रियों से अधिक शुल्क लेना।
- असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण यात्रियों की यदि शिकायत आती है तो।
- सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर।
- रेलवे की राय में कोई अन्य कारण जो समाप्ति की गारंटी देता है।
- यदि कोई चूक या कदाचार पाया जाता है और सुविधाकर्ता के खिलाफ साबित होता है तो Sr.DCM/DCM in-charge प्रथम अनियमितता पर रु० 1000/-, दूसरे अनियमितता पर रु० 2000/- और इसके बाद के अनियमितता पर न्यूनतम जुर्माना लगा सकते हैं और सुविधाकर्ता का जमानत राशि जब्त करते हुए आवंटित प्राधिकार निरस्त/समाप्त भी कर सकते हैं।
- रेलवे किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए अधिसूचना/अनुबंध को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- ATVM (फेसिलिटेटर) सुविधाकर्ता और प्रशासन के बीच किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए सक्षम अधिकारी अंतिम प्राधिकारी होंगे।

(छ) आवेदन कैसे करें:-

1. इच्छुक व्यक्ति जो उपरोक्त अनुसार पात्र हैं, वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, सोनपुर, मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, सोनपुर, जिला – सारण, पिन – 841101 से स्व-अभिप्रमाणित वैध परिचय पत्र की छाया प्रति जमा करके आवेदन प्रपत्र तथा नियम एवं शर्तें निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
2. आवेदन प्रपत्र तथा नियम एवं शर्तें www.ecr.indianrailways.gov.in (Division - Sonpur, department - commercial) के वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवेदन किया जा सकता है।
3. एक आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन जमा किया जाना है, एक से अधिक आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
4. आवेदन में मांग की गयी सभी जानकारी सही ढंग से भरी जानी चाहिए, अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकार किए जाने के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
5. आवेदन के साथ में मांगे गए प्रमाण-पत्रों पर स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न नहीं होने पर अथवा अधूरे भरे हुए आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
6. आवेदक द्वारा अपने चरित्र के संबंध में जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना है, जो की आवेदन खोलने की तिथि को वैध हो।
7. आवेदन का मूल्यांकन आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाएगा। बाद में जमा किए जाने वाले किसी भी दस्तावेज को स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा उनपर विचार नहीं किया जाएगा।
8. आवेदन पत्र को निर्धारित संलग्नक स्व-अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र के साथ एक सील बंद लिफाफे में रखा जाना है। लिफाफे के ऊपर “एटीवीएम सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर)/(स्टेशन का नाम) के लिए आवेदन” लिखा होना चाहिए।
9. आवेदन पत्र सील बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक, कोरियर, साधारण डाक अथवा स्वयं (हाथो-हाथ) मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पूर्व मध्य रेल, सोनपुर के कार्यालय में रखे बॉक्स में किसी कार्य दिवस में दिनांक 07.04.2026 से 29.04.2026 तक दिन के 10:00 बजे से 18:00 बजे तक एवं दिनांक 29.04.2026 को दिन के 12.00 बजे तक गिराया जा सकता है।
10. सीलबंद, प्राप्त आवेदनों को दिनांक 29.04.2026 को दिन के 12:30 बजे खोला जाएगा।
11. यदि किसी कारणवश अंतिम तिथि को अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। तथा उसी दिन, दिन के 12.30 बजे खोले जाएंगे।
12. आवेदनकर्ता यदि चाहें, तो आवेदन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
13. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
14. प्रमाण पत्रों के सत्यापन तिथि में अनुपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।


 कृते मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य)
 पूर्व मध्य रेल, सोनपुर

(सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए)

Annexure-1

सेवा में,

मण्डल रेल प्रबन्धक (वा०)

पूर्व मध्य रेल, सोनपुर

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों अथवा पति/पत्नी अथवा वयस्क बच्चों से ATVM फैसिलिटेटर के रूप में चयन हेतु आवेदन।

<ul style="list-style-type: none"> हाल ही का पासपोर्ट साइज का स्वअभिप्रमाणित फोटो चिपकाये। आवासीय प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करें। सेवानिवृत्ति के समय मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक द्वारा जारी रेलवे का पहचान पत्र की एक प्रति स्व-अभिप्रमाणित और स्टाम्प साइज फोटो की एक प्रति। 	सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चिपकायें।	सेवानिवृत्ति रेल कर्मचारियों के जीवनसाथी या वयस्क बच्चों की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चिपकायें।
--	---	---

स्टेशन व श्रेणी का नाम जिसके लिए आवेदन किया हो।.....

1	आवेदक का नाम	
2	पदनाम	
3	विभाग	
4	जन्मतिथि	
5	नियुक्ति की तिथि	
6	सेवानिवृत्ति तिथि	
7	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आयु	वर्षमहिना दिन.....
8	कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
9	पीपीओ संख्या (पीपीओ की प्रति संलग्न करें)	
10	आवासीय प्रमाण पत्र (संलग्न करें)	
11	किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक (एम.बी.बी.एस.) द्वारा जारी नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संलग्न करें (Annexure-3)	
12	मोबाइल संख्या	
13	कार्यालय का पता (जहाँ से सेवा निवृत्ति हुए हो)	
14	मनोनित पति/पत्नी/वयस्क बच्चे (यदि कोई हो)	स्वयं ()/पत्नी ()/ वयस्क बच्चे ()
A	नाम	
B	कर्मचारी से संबंध (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
C	शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
D	पहचान पत्र (संलग्न करें)	
E	आवासीय प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र (संलग्न करें)	
F	किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक (एम.बी.बी.एस.) द्वारा जारी नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संलग्न करें (Annexure-3)	

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य है मैंने नियम और शर्तों को पढ़ लिया है और चुने जाने पर उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान:-

दिनांक:-

सेवा निवृत्त रेल कर्मचारी का हस्ताक्षर एवं पूर्ण पता।

(सामान्य स्थानीय आवेदकों के लिए)
एटीवीएम सुविधाकर्ता के चयन से संबंधित आवेदन

Annexure-2

नवीनतम पासपोर्ट
साइज का
स्वअभिप्रमाणित
फोटो चिपकायें।

1. एटीवीएम सुविधाकर्ता के मांग वाले स्टेशन:-.....
2. स्टेशन का श्रेणी:-.....
3. आवेदक का नाम:-.....
4. पिता/पति का नाम:-.....
5. स्थायी निवास:- (आवासीय प्रमाण पत्र) :-.....
.....
6. शैक्षणिक योग्यता:-.....
7. जन्म तिथि:-.....
8. पहचान पत्र (संलग्न करें) :-.....
9. चरित्र प्रमाण पत्र (डीएम/एडीएम/एसडीएम/पुलिस अधीक्षक/बीडीओ/सीओ द्वारा निर्गत) :-
.....
10. किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक (एम.बी.बी.एस.) द्वारा जारी नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
(Annexure-3).....
11. रेलवे में रोजगार के लिए कोई दावा नहीं होगा। इस संबंध में वैधिक कागज पर एक वचन-पत्र।
(संलग्न करें)

टिप्पणी:-

घोषणा:- घोषणा करता/करती हूं कि मैं किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विभाग में या अन्य किसी स्टेशन पर एटीवीएम सुविधाकर्ता के रूप में कार्यरत नहीं हूं।

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम:-

पिता/पति:-

ग्राम:- पोस्ट :-.....

थाना:-..... जिला:-.....

पिन:-.....

मो०:-..... दिनांक:-.....

(Handwritten Signature)

“Proforma of Medical Certificate”

(To be issued by Registered MBBS Medical Practitioner)

This is to certify that I have examined Sri/Smt/Miss.....
S/o/D/o/W/o And found that he/she is fit for active
service and free from communicable disease.

Signature of the Doctor

Stamp:

Name of Doctor:-

Registration No.:-

Date:-

